सत्यमेव जयते

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, म.प्र.

भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462011

दूरभाष 0755-2554821 & 2764037 फैक्स: 0755-2557452 ई-मेल: srdagaebhopal@cag.gov.in

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक/नि.वि.1/स-3/पू.पी/एफ./ D-251 दिनांक 2.05.2025

कार्यालय आदेश

भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना फा.सं.एफ एक्स 1/3/2024 पीआर. दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से अधिसूचना एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) के क्रियान्वयन हेतु पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना फा.सं.एफ आर डीए- 12/01/000/2023 विधि दिनांक 19.03.2025 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय) पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन विनियम 2025 बनाये गए है, जो कि दिनांक 01.04.2025 से लागू हो चुके है एवं https:www.pfrda.org.in/ पर उपलब्धp है।

एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल निम्न प्रकार के अभिदाताओ हेतु उपलब्ध है :-

(i) दिनांक 01.04.2025 कि स्थिति में केंद्र की स्थिति में केंद्र सरकार की सेवाओ में कार्यरत कार्मिक

(ii) दिनांक 01.04.2025 अथवा इसके पश्चात् केंद्र सरकार की सेवाओं में नए भर्ती हुए कार्मिक

(iii) दिनांक 01.04.2025 अथवा इसके पूर्व अधिवार्षिक आयु पर/ स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिक, यदि किसी सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के चयन से पूर्व हो चुकी, उनके विवाहित (Spouse) को यह विकल्प उपलब्ध है। एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के चयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निम्ननुसार है :-

1. एकीकृत पेंशन योजना का चयन ऑनलाईन माध्यम से http://enps.nsdl.com/ पर उपलब्ध Unified Pension Scheme (UPS) में Migrate to UPS पर Click करके किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी Standard operating procedure संलग्न है।
2. अभिदाता द्वारा एक बार चुना गया विकल्प अंतिम एवं अपपरिवर्तनीय होगा।
3. ऐसे अभिदाता जो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के चयन हेतु पात्र है, परंतु निर्दिष्ट समयसीमा के अन्दर उक्त विकल्प का चयन नहीं करते हैं, वे उक्त विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ही जारी रहेंगे।

4. वर्तमान में (i) एवं (iii) श्रेणी के अभिदाताओ के लिए एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प में चयन निर्दिष्ट समयसीमा दिनांक 01.04.25 से तीन माह के अन्दर है, एक (ii) श्रेणी में अभिदाताओ के लिए उक्त समयसीमा, केंद्र सरकार कि सेवाओ में भर्ती कि तिथि से तीस दिनों के अन्दर है | यदि भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा किसी विस्तारित समयसीमा कि अनुमति डी जाती है, तो उक्त समयसीमा लागू होगी |

5. पात्र एवं इच्छुक संभागीय लेखापाल संवर्ग के अंतर्गत सभी अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त योजना का विकल्प के चयन के पश्चात् इस कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें |

(प्राधिकार :- उप महालेखाकार (निर्माण लेखा) के आदेश दिनांक 01.05.2025)

Bhagoliwal.

वरिष्ठ लेखा अधिकारी/निर्माण विविध-I

प्रति,

संभागीय लेखापाल संवर्ग
के समस्त एन.पी.एस. अभिदाता |